Email - sonekikalam@gmail.com

आर.एन.आई. रजि. नं. 52089

सोने की कलम

प्रधान सम्पादक – चेतन गन्धे , 9893157809

www.sonekikalamnews.com

वर्ष - 34 अंक - 8 (साप्ताहिक, प्रत्येक गुरुवार) इन्दौर, 3 अप्रैल 2025 से 9 अप्रैल 2025 मूल्य 1 रुपये पृष्ठ 4

सीएम राइज स्कूल कहलाएंगे अब सांदीपनि विद्यालय

भगवान श्रीकृष्ण ने की थी सबसे पहले 'स्कूल चलें हम' अभियान की शुरूआत

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार विद्यार्थियों को गणवेश, लैपटॉप, ई-स्कूटी, साइकिल, कोचिंग के साथ अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवा कर सही अर्थ में रामराज की कल्पना को साकार कर रही है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के निर्देशन में मध्यप्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में भी विकास कर रहा है। प्रदेश के समस्त निर्मित और निर्माणाधीन सीएम राइज स्कूलों का नाम अब सांदीपनि विद्यालय होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आज भोपाल की अरेरा कॉलोनी स्थित शासकीय नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (ओल्ड कैम्पियन) में आयोजित स्कूल चलें हम राज्य स्तरीय प्रवेश उत्सव कार्यक्रम-2025 को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नवीन विद्यालय परिसर पहुंचने ही विद्यार्थियों से संवाद किया और इस अवसर पर लगाई गई प्रदर्शनी देखी। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए चित्रों का अवलोकन कर सराहना की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्यक्रम में के.जी.-2 में प्रवेश लेने वाली नन्ही बालिकाओं को माला पहनाकर उनके विद्यालय में प्रवेश की औपचारिकता पूर्ण करवाई। उन्होंने नव प्रवेशी बालिकाओं को उपहार दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव और अन्य अतिथियों ने प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मान प्रदान किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समस्त शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों के प्रवेश की कार्यवाही स्कूल शिक्षा विभाग के एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर स्टूडेंट डायरेक्ट्री मैनेजमेंट सिस्टम से किए जाने और इस पोर्टल में स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित सभी कार्यों को शामिल किए जाने की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पोर्टल 3.0 का शुभारंभ भी किया।

भविष्य से भेंट कार्यक्रम के तहत कलेक्टर श्री आशीष सिंह पहुँचे शासकीय सांदीपनि विद्यालय मुसाखेड़ी

सहज भाव से बच्चों के बीच बैठे अपने बचपन को याद किया

◆इंदौर, सोने की कलम।

राज्य शासन के निर्देशानुसार इंदौर जिले में भी स्कूल चलें हम अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत आज सभी स्कूलों में भविष्य से भेंट कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सभी स्कूलों में कलेक्टर श्री आशीष सिंह सहित सभी अपर कलेक्टर, एसडीएम और विभिन्न विभागों के अधिकारी स्कूलों में पहुँचे, प्रेरक की भूमिका निभाते हुए विद्यार्थियों से भेंट की, उनके साथ अपने अनुभव साझा किये, पढ़ाई का महत्व बताया और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए लक्ष्य को प्राप्त करने के मंत्र समझायें।

इसी के तहत कलेक्टर श्री आशीष सिंह इंदौर के मुसाखेड़ी स्थित सांदीपनि विद्यालय पहुँचे। यहाँ वे सहज भाव से बच्चों के बीच बैठे, उनसे रूबरू होते हुए अपने बचपन को याद किया, कहानी सुनाई, अनुभव साझा कियेऔर बच्चों को जीवन में आगे बढ़कर लक्ष्य प्राप्त करने की प्रेरणा दी।

कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने बच्चों से कहा कि अब सीएम राइज स्कूल का नाम सांदीपनि विद्यालय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा किया गया है। यह हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास है। शासकीय विद्यालयों की दशा और दिशा भी तेजी से बदल रही है। सकारात्मक बदलाव आ रहा है। सरकारी स्कूलों के प्रति पालकों का विश्वास बढ़ रहा है। इस वर्ष 40 से अधिक बच्चों ने प्रायवेट स्कूल छोड़कर इस सरकारी स्कूल में प्रवेश लिया है। यह अच्छी शुरूआत है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल किसी प्रायवेट स्कूल से कम नहीं है। उच्च शिक्षित, दक्षतापूर्ण शिक्षक है, साधन-सुविधाएँ है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण है। सरकारी स्कूलों को और अधिक सुविधाओं से युक्त करने के प्रयास निरन्तर किये जा रहे हैं।

कलेक्टर श्री आशीष सिंह बच्चों के बीच कक्षा में पहुँचे। बच्चों से उनके रूचि के विषय और लक्ष्य के बारे में पूछा। बच्चों से उन्होंने कहा कि वे अपने बचपन को खोने नहीं दें। मोबाइल का उपयोग नहीं करें। अनुशासन में रहें। पढ़ाई के साथ खेल भी खेंले। खेल भी जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बच्चों से उन्होंने कहा कि लक्ष्य तय करें, खूब मन लगाकर पढ़े, मेहनत करें, आगे बढें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। मेहनत ही सफलता की कुंजी है। मेहनत करेंगे तो कोई भी लक्ष्य आसानी से प्राप्त किया जा सकेगा। बच्चों को उन्होंने ऋषि कश्यप और एक देत्य की प्रेरणादायी कहानी भी सुनाई। बच्चों ने अपने लक्ष्य के बारे में बताया, किसी ने कहा कि वे प्रधानमंत्री, किसी ने डॉक्टर, इंजीनियर तो किसी ने भविष्य में टीचर बनने की बात कहीं। कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने सभी बच्चों को उज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ दी।

अगले तीन वर्ष में प्रदेश की सभी बसाहटों को सड़कों से जोड़ा जाए - मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों के सुगम आवागमन और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए प्रदेश की शत-प्रतिशत बसाहटों को सड़कों से जोड़ने के लिए समय-सीमा निर्धारित कर कार्रवाई करें। सभी जिलों में सड़कों की आवश्यकता का वैज्ञानिक आधार पर सर्वे सुनिश्चित कर कार्य-योजना बनाई जाए।

सड़कों की आवश्यकता के संबंध में विधायकों और पंचायत प्रतिनिधियों का अभिमत अवश्य लिया जाए। राज्य सरकार अगले तीन वर्ष में सभी बसाहटों को सड़कों से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन भोपाल में मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यों की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिए। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री श्री प्रह्लाद पटेल, मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अतिवृष्टि, बाढ़ तथा अन्य कारणों से क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत और उनके उन्नयन की आवश्यकता के प्रति सतर्क रहते हुए तत्परतापूर्वक कार्यवाही की जाए। सड़कों के रख-रखाव और नियमित निरीक्षण में मोबाइल एप, जियो टैगिंग तथा एआई टेक्नॉलोजी का उपयोग कर इसे अधिक प्रभावी बनाया जाए। सड़कों पर वर्तमान यातायात का सर्वे कर उन्नयन और लेन विस्तारीकरण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।

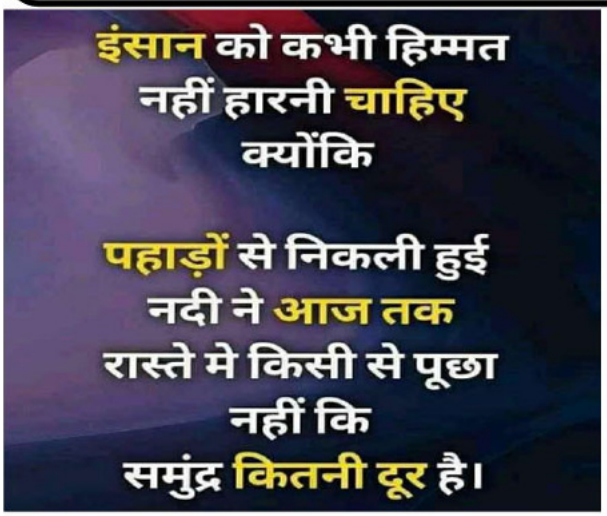

संपादकीय

वक्फ में सुधार

वक्फ संशोधन बिल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आम सहमति की उम्मीद तो किसी को नहीं, लेकिन गतिरोध को कम से कम करने का प्रयास जरूर होना चाहिए। इस बिल का असर एक बड़ी आबादी पर पड़ेगा। अगर उसकी चिंताओं को दूर नहीं किया गया तो बिल का मकसद अधूरा रह जाएगा।

चेतन गन्धे
9893157809
सम्पादक

सरकार ने पिछले साल अगस्त में वक्फ संशोधन से जुड़ा नया बिल लोकसभा में पेश किया था। तब विपक्ष के विरोध के चलते इसे संयुक्त संसदीय कमिटी के पास भेज दिया गया। इस साल फरवरी में कमिटी ने अपनी रिपोर्ट दी, फिर केंद्रीय कैबिनेट ने उसे मंजूरी दी। सरकार का कहना है कि उसने विपक्ष की बात भी सुनी है, जबकि विपक्ष का आरोप है कि उसके सुझाए बदलावों को स्वीकार नहीं किया गया।

वक्फ को लेकर विवाद कोई नया नहीं है और इसके कामकाज में सुधार होना चाहिए। वहीं, यह बड़ी संपत्ति का मालिक भी है। सरकारी रिपोर्ट बताती है कि फिलहाल वक्फ बोर्ड के पास देशभर में 8.7 लाख संपत्तियां हैं। भारतीय सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। संशोधन बिल से इनके मैनेजमेंट में आसानी होगी।

सेंट्रल वक्फ काउंसिल में गैर-मुस्लिम सदस्यों के होने के प्रावधान पर आपत्ति हो सकती है, लेकिन महिला सदस्यों को लेकर हंगामा समझ से परे है। इससे मुस्लिम महिलाओं को अपनी बात रखने और अधिकार हासिल करने का मौका मिलेगा। इसी तरह, बोहरा और आगाखानी के लिए अलग बोर्ड बनने से इनके साथ अभी तक हुए भेदभाव को दूर किया जा सकेगा।

विपक्ष के साथ ही एक वर्ग को डर है कि यह बिल कानून बन गया तो इसके जरिये सरकार धार्मिक मामलों में दखल देगी। हालांकि वक्फ संशोधन विधेयक पेश करते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि वक्फ बोर्ड किसी भी धार्मिक संस्था की व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस तरह की बात सरकार की तरफ से पहले भी कही जा चुकी है। इसके बावजूद अगर गतिरोध कायम है, तो इसकी वजह है संवाद और भरोसे की कमी।

वक्फ बिल असल में धर्म से ज्यादा प्रॉपर्टी से जुड़ा मसला है। यह भी सच है कि वक्फ संपत्तियों की बदइंतजामी से जुड़ी खबरें आती रही हैं। ऐसे में सुधार की जरूरत से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सुधार संवाद और सहमति के जरिए हो, टकराव का माहौल न बने, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

कलेक्टर श्री आशीष सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रस्तावों को दिया गया अंतिम रूप

सीएसआर फंड से होंगे करोड़ों के विकास कार्य

♦इंदौर, सोने की कलम।

इंदौर जिले में सीएसआर फंड से करोड़ों रुपये लागत के विकास कार्य करवायेंगे जायेंगे। इसके लिए 11 विभागों द्वारा प्रस्ताव तैयार कर लिये गये है। नगर निगम सहित अन्य विभागों द्वारा भी प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं। अभी तक 11 ??विभागों से प्राप्त प्रस्तावों को आज कलेक्टर श्री आशीष सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक में अंतिम रूप दिया गया। उक्त प्रस्ताव मंजूरी के लिए सीएसआर फंड तहत गठित राज्य स्तरीय समिति को भेजे जायेंगे।

इस बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सिद्धार्थ जैन सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने बताया कि हमारा प्रयास है कि सीएसआर फंड के माध्यम से जिले में अधिक से अधिक विकास कार्य करवायें जाये। इस राशि का उपयोग ऐसे विकास कार्यों में किया जायेगा, जिनके लिये विभागीय मद से बजट नहीं मिलता है। बताया गया कि अभी तक जिला शिक्षा केन्द्र, सामाजिक न्याय, होम गार्ड एवं सिविल डिफेंस, अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, आयुष विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, जिला पंचायत सहित अन्य विभागों ने अपने प्रस्ताव दिये है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों एवं छात्रावास भवनों की मरम्मत आदि के प्रस्ताव दिये है। इसी तरह सामाजिक न्याय विभाग ने कुष्ठ रोगियों के लिए संचालित आश्रम/आवास के नवीन भवन के निर्माण तथा विभागीय संस्थाओं के भवनों के जीर्णोद्धार, होम गार्ड ने आपदा प्रबंधन उपकरणों, रेस्क्यू वाहनों, शैड निर्माण, अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण विभाग ने छात्रावासों में लाईब्रेरी स्थापना, गद्दे/पलंग/कम्बल क्रय, खेल सामग्री, सौलर पेनल, वाटर कूलर, आयुष विभाग ने आयुष औषधालयों के लिए पंच कर्म टेबल और अन्य आवश्यक उपकरण एवं मशीनें, महिला एवं बाल विकास ?विभाग ने आंगवाड़ी भवनों की मरम्मत, राजकीय बाल आश्रम में सौलर पेनल, नये किचन के निर्माण, नया डायनिंग हॉल, ऑफ्टर केयर सेंटर के ऐसे निराश्रित युवा जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो गई है, के लिए आवास व्यवस्था, जिला पंचायत द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्थापित सात मटेरियल ?रिकवरी, फैसिलिटी सेंटर को उन्नत करने, सेग्रीगेशन शैड विस्तार निर्माण, प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रहण के लिए वाहन आदि के प्रस्ताव तैयार किये है।

एमआर-12 कैलोद हाला रेलवे क्रासिंग पर आरओबी को लेकर बैठक सम्पन्न

♦इंदौर, सोने की कलम।

संभागायुक्त श्री दीपक सिंह की अध्यक्षता में आज एमआर-12 कैलोद हाला रेलवे क्रासिंग पर आरओबी को लेकर संभागायुक्त कार्यालय में इंदौर विकास प्राधिकरण और लोक निर्माण विभाग की संयुक्त बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में इंदौर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आर.पी. अहिरवार, लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता(ब्रिज) श्री जी.पी. वर्मा तथा मुख्य अभियंता श्री सी.एस. खरत, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर श्री पी.एन. पांडे, अधीक्षण यंत्री श्री अनिल कुमार जोशी सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में संभागायुक्त श्री दीपक सिंह ने एमआर-12 कैलोद हाला आरओ ब्रिज के निर्माण की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की। बैठक में संभागायुक्त श्री सिंह ने कहा कि एमआर-12 कैलोद हाला पर बढ़ते यातायात को देखते हुए 6 लेन ब्रिज का निर्माण किया जायेगा। इसे एक ही निर्माण एजेंसी बनायेगी। ब्रिज का इलाइनमेंट इस तरह किया जायेगा कि यातायात की दृष्टि से यह सुरक्षित बनें। बीआरटीएस में विभिन्न स्थानों पर फलाई ओवर बनाने पर भी चर्चा हुई। बैठक में संभागायुक्त श्री सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि सिंहस्थ के पहले खंडवा रोड़ चल रहे सभी तरह के निर्माण कार्यों और संधारण का कार्य पूर्ण गुणवत्ता के साथ पूरा कर लिया जाये। बैठक में इंदौर विकास प्राधिकरण के सहायक यंत्री श्री राजेश कुमार, कंसलटेंट श्री दीपेन्द्र सिंह तौमर, प्रोजेक्ट समन्वयक श्री जितेन्द्र जोशी आदि ने भी अपने विचार एवं सुझाव रखें।

जिला ई-गवर्नेंस प्रबंधक श्री अतुल दुबे को नियुक्त किया गया मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी

इन्दौर। मध्यप्रदेश शासन सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा मध्य प्रदेश कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम का गठन किया गया है। यह टीम सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा संबंधित विषयों पर सशक्त एवं केंद्रीकृत स्वायत्त संगठन के रूप में कार्य कर रही है। इस अनुक्रम में साइबर सुरक्षा के बढ़ते महत्व को ध्यान में रखते हुए समस्त जिलों में डिजिटल संचालन एवं सेवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला ई-गवर्नेंस प्रबंधक श्री अतुल दुबे को इंदौर जिले का मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है।

यह नियुक्ति अपर मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग श्री संजय दुबे के आदेश के परिपालन में कलेक्टर श्री आशीष सिंह द्वारा की गई है।

जंक फूड, स्ट्रीट फूड एवं फास्ट फूड की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर के निर्देशन में

खाद्य सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन

खाद्य प्रतिष्ठानों के संचालकों को खाद्य सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर दिया गया प्रशिक्षण

◆इंदौर, सोने की कलम।

मध्यप्रदेश में विभिन्न स्थानों पर विक्रय किए जाने वाले जंक फूड, स्ट्रीट फूड एवं फास्ट फूड की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयुक्त खाद्य सुरक्षा श्री संदीप यादव के निर्देशानुसार एक माह तक व्यापक स्तर पर निरीक्षण, जाँच, प्रशिक्षण एवं जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में कलेक्टर श्री आशीष सिंह के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा प्रशासन इंदौर द्वारा 1 अप्रैल 2025 को रजत जयंती काम्पलेक्स, स्कीम नं. 54 स्थित चौपाटी पर खाद्य सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। उल्लेखनीय है कि रजत जयंती काम्पलेक्स चौपाटी ने FSSAI के ईट राइट चैलेंज-4 के तहत 'ईट राइट स्ट्रीट फूड हब' प्रमाणन के लिए आवेदन भी किया है।

इस अवसर पर चौपाटी स्थित प्रतिष्ठानों के संचालकों को खाद्य सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया गया। जिनमें मुख्यत: परिसर की स्वच्छता सुनिश्चित करना, खाद्य पदार्थों को ढककर रखना एवं जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थों को 4एष्ट से कम तापमान पर संरक्षित करना, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, खाद्य रंग, फ्लेवर एवं आर्टिफिशियल स्वीटनर का सीमित एवं सुरक्षित उपयोग, कच्चे माल एवं तैयार खाद्य पदार्थों की समय-समय पर जाँच करना, ग्राहकों की शिकायतों एवं सुझावों पर त्वरित कार्रवाई करना आदि शामिल हैं।

जंक फूड एवं खाद्य एडिटिव्स के अधिक उपयोग के नुकसान

विशेषज्ञों द्वारा बताया गया कि जंक फूड एवं फास्ट फूड में अत्यधिक फूड एडिटिव्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर एवं प्रिज़र्वेटिव्स का अनियंत्रित उपयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इनमें रूस्त, सिंथेटिक रंग, आर्टिफिशियल स्वीटनर एवं ट्रांस फैट शामिल होते हैं, जो मोटापा एवं हृदय रोग को बढ़ावा देते हैं। पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं और गैस्ट्रिक समस्याएँ पैदा कर सकते हैं। एलर्जी एवं हाइपरएक्टिविटी जैसी समस्याओं का कारण बन सकते हैं, विशेषकर बच्चों में। लंबे समय तक अत्यधिक सेवन से कैंसर एवं अन्य गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। इसके अतिरिक्त मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब की सहायता से खाद्य पदार्थों की त्वरित जाँच एवं प्रशिक्षण दिया गया। मौके पर लिए गए रॉ मटेरियल एवं तैयार खाद्य पदार्थों के नमूनों की जाँच में कोई मिलावट नहीं पाई गई। कार्यक्रम में उपस्थित सभी खाद्य प्रतिष्ठान संचालकों ने खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन करने का संकल्प लिया।

एमएसएमई में निवेश और टर्न ओवर की सीमा ढ़ाई गुना हुई

अब बेहतर वित्तीय पहुंच और दक्षता में होगी बढ़ोतरी

◆इंदौर, सोने की कलम।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा अनुरूप अब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम इकाइयों का निवेश और टर्न ओवर (कारोबार) का दायरा बढ़ाकर ढ़ाई गुना कर दिया गया है। राज्य शासन ने एक अप्रैल 2025 से नए नियम प्रभावी कर दिए हैं। एमएसएमई मंत्री श्री चैतन्य कुमार काश्यप ने कहा है कि इस नए बदलाव से मध्यप्रदेश में नवीन उद्योग धंधों का विकास होगा और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम की दक्षता में वृद्धि, तकनीकी उन्नयन और बेहतर वित्तीय पहुंच हो सकेगी।

सूक्ष्म में ढ़ाई, लघु में 25 और मध्यम उद्यम में 125 करोड़ की निवेश सीमा

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना अनुसार 1 अप्रैल 2025 से सूक्ष्म उद्यम के निवेश की सीमा एक करोड़ से बढ़ा कर 2 करोड़ 50 लाख और कारोबार की सीमा बढ़ाकर 10 करोड़ रूपये की गई है। पूर्व में निवेश की सीमा एक करोड़ तथा टर्न ओवर (कारोबार) की सीमा 5 करोड़ रूपये थी। इसी तरह लघु उद्यम श्रेणी में निवेश की सीमा 10 करोड़ से बढ़ाकर 25 करोड़ और करोबार की सीमा को 50 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ कर दिया गया है। मध्यम उद्यमों में निवेश की सीमा अब 125 करोड़ होगी तथा टर्न ओवर 500 करोड़ का होगा। पहले यह सीमा निवेश के लिये 50 और कारोबार के लिये 250 करोड़ नियत थी। उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार ने भी 21 मार्च 2025 को तत्संबंध में अधिसूचना जारी की है।

सड़कों पर बसें खड़ी कर यातायात बाधित करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई

◆इंदौर, सोने की कलम।

कलेक्टर श्री आशीष सिंह द्वारा पिछले दिनों ली गई बस संचालकों की बैठक में दी गई हिदायतों के बावजूद भी सड़कों पर बस खड़ी कर यातायात बाधित करने वालों के विरूद्ध आज अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई की गई। अभियान के तहत सड़क पर बस खड़ी पायी जाने पर 7 बसों को जप्त किया गया।

बसों को जप्त करने की यह कार्रवाई जिला प्रशासन, आरटीओ तथा यातायात पुलिस के संयुक्त अमले द्वारा की गई। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री प्रदीप शर्मा ने बताया कि विगत दिनों समस्त बस ऑपरेटरों की एक बैठक में इंदौर शहर में रोड़ पर दोनों ओर अवैध रूप से बसों को खड़ा किया जाने से यातायात अवरूद्ध होकर जाम की स्थिति निर्मित होने पर अप्रसन्नता जाहिर की गई थी। समस्त बस ऑपरेटरों को उनकी बसों को निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही पार्क करने हेतु निर्देश दिये गये थे। इस संबंध में समस्त बस ऑपरेटरों को पूर्व में कई बार बैठक की जाकर निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही अपनी बसों को खड़ा करने के निर्देश दिये गये थे ।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री प्रदीप कुमार शर्मा, एआरटीओ श्री राजेश गुप्ता, तहसीलदार जूनी इंदौर, ट्राफिक टी.आई. अमिता सिंह, परिवहन निरीक्षक श्री जितेन्द्र गुर्जर द्वारा कार्यालय के विशेष जांच दल के साथ संयुक्त रूप से रिंग रोड़ एवं तीन ईमली पर आकस्मिक चैकिंग की गई। चैकिंग के दौरान मां शारदा ट्रेवल्स, मां वैष्णों ट्रेवल्स, राठौर ट्रेवल्स, नवदीप ट्रेवल्स, समरीन ट्रेवल्स, शताब्दी ट्रेवल्स की कुल 07 बसें अवैध रूप से रिंगरोड़ व तीन ईमली ब्रिज के नीचे खड़ी पाई गई। इन सभी बसों को मोटरयान अधिनियम 1988 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही की जाकर जप्त किया गया। यह कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

जिला न्यायालय में असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल के रिक्त पदों पर चयन हेतु साक्षात्कार 8 एवं 9 अप्रैल को

इन्दौर। जिला न्यायालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इन्दौर के द्वारा असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल के तीन रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी की गई थी। उक्त पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 17 फरवरी 2025 निर्धारित की गई थी। जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री मिथिलेश डेहरिया ने बताया कि इन पदों पर चयन हेतु कुल 194 अधिवक्ताओं के आवेदन प्राप्त हुए है। असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल के 03 रिक्त पदों पर चयन हेतु जिला न्यायालय में 08 एवं 09 अप्रैल 2025 को साक्षात्कार लिए जाएंगे।

साक्षात्कार हेतु पात्र पाए गए आवेदकों की सूची जिला न्यायालय इन्दौर की अधिकारिक वेबसाईट https://indore.dcourts.gov.in/ एवं जिला न्यायालय के सूचना पटल पर देखी जा सकती है।

एमडी ने दिए गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति के निर्देश

इन्दौर। मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक (एमडी) श्री अनूप कुमार सिंह ने बुधवार की शाम देवास जिले का दौरा किया। उन्होंने चापड़ा वितरण केंद्र के तहत गोपालपुरा, करनावद व अन्य स्थानों पर आरडीएसएस के कार्य की जानकारी भी ली। श्री सिंह ने गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति समय पर राजस्व संग्रहण, आरडीएसएस के कार्य समय पर पूर्ण करने इत्यादि विषयों पर अधीक्षण यंत्री व कार्यपालन यंत्रियों को निर्देशित भी किया। केंद्र शासन की महत्वपूर्ण योजना धरती आबा के तहत जारी सर्वेक्षण अभियान की जानकारी भी ली।

इंदौर में 27 अप्रैल को आईटी कॉन्क्लेव

200 कंपनियां आएंगी

19 हजार को मिलेगा रोजगार

♦इंदौर, सोने की कलम।

इंदौर में 27 अप्रैल को आईटी कॉन्क्लेव का आयोजन होने वाला है। मुख्यमंत्री डॉ. सीएम मोहन यादव ने इसके लिए तैयारियां करने को कहा है और आईटी कॉन्क्लेव के लिए देश की बड़ी आईटी कंपनियों को बुलाने के लिए कहा गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एक दिनी आईटी कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। इसमें देश-विदेश की महत्वपूर्ण आईटी और इससे जुड़ी सेवाएं देने वाली कंपनियों को न्योता भेजा जा रहा है। प्रदेश सरकार के अफसर व्यक्तिगत रूप से कंपनी प्रतिनिधियों से संपर्क कर रहे हैं, ताकि कॉन्क्लेव में ज्यादा से ज्यादा आईटी कंपनियों की सहभागिता हो सके।

इंदौर में होने वाले आईटी कॉन्क्लेव का आयोजन कहां और किस स्वरूप में होगा यह अभी तय नहीं हुआ है। हालांकि, सूत्रों का कहना है कि यह कॉन्क्लेव इंदौर में ब्रिलियंट कन्वेशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। इस आईटी कॉन्क्लेव में आईटी कंपनियां, आईटी से जुड़े स्टार्टअप, एआई, सेमीकंडक्टर और प्रॉपर्टी से जुड़ी कंपनियों को निमंत्रण भेजा जाएगा। बताया जा रहा है कि आईटी कॉन्क्लेव में देश-विदेश की लगभग 200 कंपनियां हिस्सा लेंगी।

बता दें कि हाल ही में भोपाल में ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट का आयोजन हुआ था। यह दूसरी बार था जब जीआईएस का आयोजन इंदौर से बाहर किया गया था। उस समय इंदौर के औद्योगिक और व्यापारिक संगठनों का मानना था कि समिट को भोपाल में करने के फैसले से इंदौर की औद्योगिक और व्यापारिक संभावनाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। जिसके बाद से ही इंदौर में ही आईटी कॉन्क्लेव कराने को लेकर चर्चा तेज हो गई थी। जिसकी घोषणा सीएम ने खुद कर दी।

इंदौर के आईटी सेक्टर का केवल निर्यात ही इस समय 18,000 करोड़ रुपए से अधिक का है। इंदौर में टीसीएस, इंफोसिस, यश, इंफोबिंस, इम्पेटस, टास्कयूज, टेलीमार्ट सहित 300 से अधिक मध्यम और छोटी आईटी/बीपीओ कंपनियां कार्यरत हैं। 1,000 से अधिक आईटी स्टार्टअप भी इंदौर में काम कर रहे हैं।

सरकार का लक्ष्य है कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, आईबीएम जैसी बड़ी आईटी कंपनियां इंदौर में अपना बड़ा सेंटर खोलें।

बड़ी फिनटेक कंपनियों के मुख्यालय इंदौर में स्थापित किए जाएं। एआई और मशीन लर्निंग की रिसर्च और डेवलपमेंट कंपनियों को इंदौर में लाया जाए। सरकार 501 करोड़ रुपए की लागत से आईटी पार्क-3 और 47 करोड़ रुपए की लागत से आईटी पार्क-4 बना रही है। वहीं इंदौर शहर के निकट 400 हेक्टेयर भूमि पर आईटी और फिनटेक जोन विकसित करने की तैयारी है।

इंदौर में तैयार हो रहे दो आईटी पार्क

इंदौर में आईटी पार्क 3 और 4 का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। यह दोनों ही आईटी पार्क लगभग 3 हेक्टेयर जमीन पर तैयार किए जा रहे हैं। इन्हें तैयार करने में लगभग 550 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। आईटी पार्क 3 का 38 प्रतिशत पूरा हो चुका है और 4 का काम 30 प्रतिशत पूरा हो चुका है। आईटी पार्क 3 में 1 हज़ार करोड़ का निवेश प्रस्तावित है जहां पर 15 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं, आईटी पार्क 4 में 500 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है जहां पर 4 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। आईटी पार्क 3 दिसंबर 2025 तक तो वहीं और आईटी पार्क 4 जनवरी 2026 तक पूरा हो जाएगा।

राशन की कालाबाजारी की सूचना देने वाले को अयोध्या की यात्रा

♦इंदौर, सोने की कलम।

गरीबों को वितरित किए जाने वाले राशन की कालाबाजारी रोकने के लिए अब एक अनूठा तरीका निकाला गया है। राशन की कालाबाजारी की सूचना देने वालों को अब अयोध्या में रामलला के दर्शन करवाए जाएंगे। सूचनाकर्ता की आने-जाने, अयोध्या में रहने, खाने की व्यवस्था भी की जाएगी।

महापौर परिषद सदस्य मनीष शर्मा मामा ने बताया कि अब तक कालाबाजारी की सूचना देने वालों को नकद इनाम दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। राशन कालाबाजारी की सूचना देने वालों के लिए अयोध्या यात्रा का इंतजाम किया जाएगा। शहरी गरीबी उपशमन विभाग प्रभारी मनीष शर्मा मामा ने बताया कि गरीबों के राशन की दो तरह से कालाबाजारी होती है। कुछ लोग बस्तियों में घूम-घूमकर राशन की दुकानों से रियायती दर पर मिलने वाला राशन हितग्राहियों से खरीदकर इसे किराना दुकानों पर महंगे दाम में बेचते हैं।

तौल कांटों में सेटिंग का खेल, वजन कम कर काटा जा रहा ट्रांसपोर्टरों का भाड़ा

इंदौर के औद्योगिक क्षेत्र और मंडी के आसपास संचालित धर्म तौल कांटों की नियमित जांच की मांग ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने की है। एसोसिएशन ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है नियमित और सही जांच नहीं होने से वजन में सेटिंग का खेल चल रहा है।

नाम गुप्त रखा जाएगा

ऐसे लोगों की सूचना देने वालों को अब तक 1100 रुपये इनाम देते थे। इसी तरह बड़े गोदामों से भी कालाबाजारी होती है। इसकी सूचना देने वालों को 2100 रुपये इनाम दिया जाता था। अब दोनों ही तरह के मामलों में सूचना देने वालों को रामलला के दर्शन करवाए जाएंगे। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा।

व्यापारी तय कांटे से ही वजन कराने की मांग करते हैं और अन्य तौल कांटे के वजन को मान्य नहीं करते। ऐसे में वजन कम होने पर व्यापारी ट्रक चालक का भाड़ा काट लेते है। इंदौर ट्रक आपरेटर एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सीएल मुकाती का कहना है कि ट्रक चालक और मालिक विगत तीन से चार माह से लगातार भाड़ा काटने की शिकायत एसोसिएशन को कर रहे। व्यापारी द्वारा तय कांटे से ही वजन कराया जाता है और अन्य कांटे का वजन नहीं माना जा रहा। तय कांटे से वजन कराने पर हमेशा वजन कम आता है। मामले में कलेक्टर को शिकायत की गई है। मुकाती का कहना है कि शहर में खुले सभी कांटों को मान्य किया जाना चाहिए।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक चेतन गन्धे के लिए चेतन ग्राफिक्स, 135, नगर निगम मार्केट, सुभाष मार्ग, वीआईपी स्टेशनरी के सामने, इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 109, बाणगंगा मेनरोड़, इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित।
संपादक: चेतन गन्धे, मो. : 9893157809 Email : sonekikalam@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इन्दौर रहेगा।)